भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1933

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा आत्महत्या के कारण

1933. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 से 2019 तक किसानों और खेतिहर मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्याओं का वर्ष-वार, राज्य-वार, व्यवसाय-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और भूजोत संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों द्वारा आत्महत्या के कारणों का आकलन करने के लिए किसी भी अध्ययन को अधिकृत/प्रायोजित किया है, जिसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा शोषण किए जाने के मामले भी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष और खर्च की गई राशि और इसमें शामिल लोग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह बताने के लिए कि देश में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की राह पर है; एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करने की योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु एवं आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित सूचना का संकलन एवं प्रसार करता है। वर्ष 2018 तक आत्महत्याओं से संबंधित ये रिपोर्टें इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2019 की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

(ख) एवं (ग) : सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान देश में किसानों की आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या के विभिन्न कारणों का पता लगाने के लिए 'किसानों की आत्महत्याएं: अखिल भारतीय अध्ययन' विषय पर एक अध्ययन संचालित किया गया था। यह अखिल भारतीय अध्ययन किसानों की आत्महत्या से ग्रस्त 13 प्रमुख राज्यों में किया गया था जिनके नाम हैं- उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 46 जिलों, 138 तालुकों, 388 गांवो और 528 नमूना पीड़ित परिवारों को कवर किया गया है। इस अध्ययन के संदर्भ वर्ष

को कृषि वर्ष 2015-16 (जून, 2015-मई, 2016) के रूप में निर्धारित किया गया है। इस अध्ययन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. चयनित राज्यों में किसानों की आत्महत्याओं की घटना और इसके फैलाव का विश्लेषण करना और आत्महत्या के मुख्य केंद्र का पता लगाना।
ii. पीड़ित के परिवार में सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल, फसल पद्धति और लाभ क्षमता का अध्ययन करना।
iii. आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।
iv. किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए उपयुक्त नीतियों की सिफारिश करना।

यह अध्ययन कार्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बैंगलुरू में कृषि-आर्थिक अनुसंधान (एईआर) इकाई, कृषि विकास एवं ग्रामीण रूपांतरण केन्द्र (एडीआरटीसी) को सौंपा गया था जो कृषि-आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान अध्ययन करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कृषि-आर्थिक अनुसंधान (एईआर) योजना का एक भाग है। यह सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से 100% वित्तपोषित है और एईआर केंद्रों/इकाईयों के लिए अलग से कोई अध्ययन विशिष्ट निधि प्रदान नहीं की जाती है। अध्ययन में पता चला है कि किसानों की आत्महत्या के लिए विभिन्न कारण हैं- मादक पदार्थों/नशे की लत, बीमारी, पारिवारिक समस्याएं, जुआ, गैर-संस्थागत ऋण लेना, प्रत्याशित ऋण तक पहुंच में कमी, अपर्याप्त वर्षा, चक्रवात, सूखा, उच्च उत्पादन/मूल्य प्राप्त न होना, फसल बर्बाद होना आदि।

(घ) एवं (ड.) : किसानों की स्थिति के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तथापि, सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना (डीएफआई) करने के लिए कार्यनीति की सिफारिश हेतु वर्ष 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की थी। डीएफआई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके बाद सरकार ने इन सिफारिशों के अनुसार प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए दिनांक 23.01.2019 को एक अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया। इसे प्राप्त करने के लिए समिति ने आय बढ़ाने के सात स्रोतों की पहचान की है, यथा- फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता अथवा उत्पादन लागत में बचत; फसल गहनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रति विविधिकरण; किसानों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक मूल्यों में सुधार; कृषि से गैर कृषि व्यवसाय को अपनाना।

****